1. अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा

हमारा संविधान अनुसूचित जनजातियों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। संविधान द्वारा प्रदत्त जनजातियों के रक्षोपायों की चर्चा निम्न ढंग से की जा सकती है—

सामाजिक सुरक्षा—हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता बनाए रखने की व्यवस्था दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार कानून के समक्ष जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव वर्जित है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) राज्यों को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने का अधिकार प्रदान करता है।

हमारे संविधान का अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को राज्य के अधीन कार्यालयों में रोजगार अथवा नियुक्ति पाने का समान अवसर प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य नौकरी या रोजगार देने में किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है।

अनुच्छेद 16 की धारा 4 के अनुसार सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण व्यवस्था करने से राज्यों को कोई नहीं रोक सकता है। इस अनुच्छेद के अनुसार सभी राज्यों को सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की व्यवस्था दी गई है।

अनुच्छेद 16(4A) के अनुसार राज्यों को अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरी के किसी भी वर्गों में प्रोन्नति देने की व्यवस्था दी गई है।

अनुच्छेद 19 के अनुसार हमारे देश के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी कोने में घूमने, रहने तथा काम करने का उपबंध है। उसे भारत के किसी भी स्थान में संपत्ति रखने, खरीदने तथा बेचने का अधिकार है।

अनुच्छेद 338 के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदत्त सभी संवैधानिक सुरक्षोपायों की जांच, निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग गठित करने का उपबंध है।

Scanned with CamScanner

संविधान का अनुच्छेद 339 के अनुसार राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम को प्रतिवेदित करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का उपबंध है।

संविधान के अनुच्छेद 340 में सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने तथा उनकी स्थिति में सुधार लाने के उपायों को सिफारिश करने के लिए एक आयोग गठित करने की व्यवस्था दी गई है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों या जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध करने की व्यवस्था प्रदान की गई है।

आर्थिक सुरक्षा—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्यों को कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करने, सामाजिक न्याय दिलवाने तथा शोषण से मुक्ति प्रदान करने की व्यवस्था दी गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275(1) में केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जनजातीय कल्याण कार्यक्रम तथा अनुसूचित क्षेत्रों में विशेष प्रशासन हेतु विशेष धनराशि उपलब्ध कराने की व्यवस्था दी गई है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 में केन्द्र एवं राज्य सरकार के नौकरियों एवं पदों पर अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावेदारी के ऊपर समुचित विचार करने तथा प्रशासन की क्षमता को बरकरार रखने का उपबंध है।

राजनीतिक सुरक्षा—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य जनजातीय बहुल राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों को पांचवीं अनुसूची के अनुसार प्रशासित तथा नियंत्रित होने का उपबंध है। इस अनुच्छेद के अनुसार ऐसे राज्यों के राज्यपालों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था है। साथ ही साथ इन राज्यों में जनजातीय परामर्शदातृ समिति गठन करने का प्रावधान है जिसके द्वारा जनजातीय कल्याण एवं विकास के लिए सुझाव प्राप्त करने की व्यवस्था दी गई है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 244(2) में असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम में छठी अनुसूची के माध्यम से प्रशासन की व्यवस्था इन पूर्वोत्तर राज्यों में दी गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार इन पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में पहचान देने की व्यवस्था दी गई है। जिला परिषद् एवं क्षेत्रीय परिषद् गठन का भी प्रावधान है।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित करने की व्यवस्था दी गई है। वर्तमान में लोकसभा के 40 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 332 में राज्य के विधान सभाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था दी गई है। वर्तमान में राज्य के विधान सभाओं में जनजातियों के लिए 315 स्थान आरक्षित हैं।

Scanned with CamScanner

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(D) के अनुसार ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों एवं अनुसूचित जातियों के लिए स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था दी गई है।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधन तथा भारत सरकार के पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र विस्तार, पेसा) अधिनियम, 1996 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में योजना-निर्माण तथा निर्णय निर्माण में जनजातियों की प्रभावशाली सहभागिता की व्यवस्था दी गई है।

नौकरियों में आरक्षण—हमारे संविधान के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों एवं प्रोन्नतियों में आरक्षण का प्रावधान है। अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण देने का उपबंध है। विभागीय पदोन्नतियों में भी 7.5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। स्थानीय या प्रांतीय स्तर पर जनजातीय जनसंख्या के अनुसार आरक्षण देने का प्रावधान है।

शिक्षण संस्थानों में आरक्षण—हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण का उपबंध है।

2. जनजातीय प्रशासन

वर्तमान समय में जनजातीय बहुल राज्यों में जनजातीय प्रशासन जनजातीय क्षेत्र (Tribal Area) तथा अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area) द्वारा नियंत्रित होता है।

अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय प्रशासन संविधान की पांचवीं अनुसूची के अनुसार नियंत्रित होता है। जबकि जनजातीय क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय प्रशासन संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार नियंत्रित होता है।

पांचवीं अनुसूची के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 244(1) के अनुसार दी गई है। जबकि छठी अनुसूची के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन की व्यवस्था हमारे संविधान के अनुच्छेद 244(2) के अनुसार दी गई है।

पांचवीं अनुसूची के माध्यम से प्रशासित होने वाले 8 राज्यों के नाम हैं—आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा राजस्थान। अब बिहार राज्य का विभाजन बिहार एवं झारखंड राज्य के रूप में हो गया है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य का विभाजन मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में हो गया है। इन राज्यों में जनजातीय बहुल क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

छठी अनुसूची से प्रशासित एवं नियंत्रित होने वाले राज्य असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा हैं। पहले यह व्यवस्था तीन राज्यों—असम, मेघालय तथा मिजोरम के लिए थी। लेकिन 1988 में त्रिपुरा को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इन राज्यों का वे क्षेत्र जहां जनजातियों का वास स्थान है, जनजातीय क्षेत्र कहलाते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक स्वायत्तता की व्यवस्था दी गई है।

Scanned with CamScanner

अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के राज्यपालों को अनुसूचित क्षेत्र के जनजातीय प्रशासन के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास एक वार्षिक प्रतिवेदन भेजना पड़ता है। उन्हें अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास हेतु एक जनजातीय परामर्शदातृ परिषद का गठन करना पड़ता है। इसके संबंध में भी प्रतिवेदन महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजना पड़ता है।

जनजातीय क्षेत्र वाले राज्यों में स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त क्षेत्रों में क्रमशः स्वायत्त जिला परिषद एवं स्वायत्त क्षेत्र परिषद पाए जाते हैं जिनके माध्यम से प्रशासन का कार्य निष्पादित किए जाते हैं।

अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन—अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन के मुख्य तीन अंग हैं—

(i) राज्यपाल का विशेष अधिकार
(ii) राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास प्रतिवेदन
(iii) जनजातीय सलाहकार परिषद

राज्यपाल के विशेष अधिकार—अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों को उन क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का प्रावधान है। राज्यपाल इन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में अधिसूचना या विनियमन के माध्यम से कानून बना सकते हैं।

महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वे संसद अथवा विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में लागू कर सकते हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि वे संसद तथा विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अगर वे हस्तक्षेप नहीं करते तब वे कानून अनुसूचित क्षेत्रों में स्वतः लागू हो जाते हैं।

राज्यपाल महोदय अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों को साहूकारों एवं महाजनों के शोषण से महामहिम राज्यपाल जी मुक्ति प्रदान कर सकते हैं।

महामहिम राज्यपाल जी अनुसूचित क्षेत्र की जनजातियों के बीच भूमि आबंटन को नियंत्रित कर सकते हैं।

लेकिन सभी प्रकार के कानूनों का निर्माण जनजातीय सलाहकारी परिषद की स्वीकृति से किया जाना चाहिए। जनजातीय सलाहकारी परिषद की स्वीकृति से ही उन विनियमनों को लागू किया जाना चाहिए।

महामहिम राज्यपाल जी का प्रतिवेदन—संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड (3) में अनुसूचित क्षेत्रों के राज्यपाल महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय प्रशासन तथा कल्याण योजनाओं के क्रियाकलापों के संबंध में रिपोर्ट भेजने का उपबंध है। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को दिशा निर्देश संघ सरकार प्रदान करती है। इस प्रतिवेदन का उद्देश्य सरकार को जनजातियों के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन में मदद पहुंचाना है। इन्हीं प्रतिवेदनों के आधार पर केन्द्र सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में कुशल प्रशासन के लिए दिशा निर्देश जारी करती है।

Scanned with CamScanner

जनजातीय परामर्शी सलाहकारी परिषद—हमारे संविधान की पांचवीं अनुसूची के खंड 4 में अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में जनजातीय परामर्शी परिषद के गठन का उपबंध है। राष्ट्रपति के निर्देश पर नहीं अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों में भी जनजातीय परामर्शी परिषद का गठन किया जा सकता है। आठ अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों के अतिरिक्त तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में भी जनजातीय परामर्शी परिषद का गठन किया गया है।

जनजातीय परामर्शी परिषद में अधिक से अधिक 20 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से तीन-चौथाई सदस्यों को राज विधान मंडल में अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होना चाहिए। अगर विधानमंडल में जनजातीय सदस्यों की संख्या तीन-चौथाई नहीं हो, तब इसे राज्य के अन्य जनजातीय प्रतिनिधि से भरा जाना चाहिए। लेकिन उन व्यक्तियों के पास जनजातीय समस्या का समुचित ज्ञान होना चाहिए।

जनजातीय परामर्शी परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। राज्यपाल महोदय इस परिषद की कार्यप्रणाली को भी नियमित करते हैं।

जनजातीय परामर्शी परिषद को महामहिम राज्यपाल महोदय को जनजातीय विकास एवं कल्याण के संबंध में सलाह देने का पूर्ण अधिकार होता है। इस परिषद का कार्य बहुत व्यापक होता है।

जनजातीय क्षेत्र—जनजातीय क्षेत्र की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होती हैं—

(i) जनजातीय क्षेत्रों को अपने क्षेत्र के मामले में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है।
(ii) यह जनजातियों को स्वायत्त जिलों तथा स्वायत्त क्षेत्रों के माध्यम से अपनी व्यवस्था की शक्ति प्रदान करता है।
(iii) जनजातीय क्षेत्रों में संसद अथवा विधानमंडल का कोई भी कानून तब तक नहीं लागू होता जब तक कि महामहिम राज्यपाल महोदय उसे अधिसूचित न कर दें।

स्वायत्त जिले तथा स्वायत्त क्षेत्र—जनजातीय क्षेत्र वाले चार पूर्वोत्तर राज्यों—असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा में नौ स्वायत्त जिले हैं। इनमें से दो असम, तीन मेघालय, तीन मिजोरम तथा एक त्रिपुरा में स्वायत्त जिले स्थित हैं। सामान्यत: एक स्वायत्त जिला एक जनजाति का प्रतिनिधित्व करता है। अगर किसी एक स्वायत्त जिले में एक से अधिक जनजातियां हों, तब महामहिम राज्यपाल जी क्षेत्रों को स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। त्रिपुरा की स्थिति थोड़ी भिन्न है। यहां एक स्वायत्त जिले के अंतर्गत आदिवासी बहुल क्षेत्र आते हैं। जिनमें तीन राजस्व जिले तथा कई जनजातियां आती हैं। राज्यपाल की अधिसूचना से स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त क्षेत्रों को घटाया-बढ़ाया जा सकता है।

जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद—प्रत्येक स्वायत्त जिलों में प्रशासन के लिए एक-एक जिला परिषद की स्थापना की जाती है। जिला परिषद में कुल सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 30 होनी चाहिए। इनमें अधिक से अधिक चार सदस्यों का मनोनयन महामहिम राज्यपाल जी कर सकते हैं। शेष सदस्यों का चयन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। जिला परिषद में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। परिषद् के सदस्यों की संख्या का निर्धारण महामहिम राज्यपाल जी करते हैं। वे सभी चुनाव क्षेत्रों को जनजातियों के लिए आरक्षित कर सकते हैं।

Scanned with CamScanner

स्वायत्त जिलों एवं क्षेत्रों का प्रशासन—संविधान की छठी अनुसूची पैरा-2 के उप पैरा-6 के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद गठन हेतु नियम का निर्माण कर सकते हैं।

स्वायत्त जिलों तथा क्षेत्रों में प्रशासन का दायित्व जिला या क्षेत्र परिषद के ऊपर सौंपा गया है। राज्यपाल को परिषदों की नियुक्ति करनी पड़ती है। कार्यकारी परिषद स्वायत्त जिलों के लिए मंत्री मंडल का कार्य करता है तथा निष्पादन सुनिश्चित करता है।

जिला परिषद/क्षेत्रीय परिषद द्वारा कानून का निर्माण—जिला परिषदों/क्षेत्रीय परिषदों को निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है—

1. सुरक्षित वनों को छोड़कर अन्य प्रकार की भूमि का आबंटन, अधिग्रहण एवं उपयोग
2. सभी प्रकार के वनों में प्रबंधन का विकास
3. सिंचाई के लिए नहर या अन्य जलस्रोत का विकास
4. झूम कृषि पर प्रतिबंध
5. ग्राम समिति, नगर समिति, परिषदों तथा बोर्डों का गठन
6. स्वास्थ्य एवं सफाई का विकास
7. ग्राम प्रशासन एवं नगर प्रशासन का विकास
8. मुखियाओं एवं प्रमुखों की नियुक्ति
9. संपत्ति उत्तराधिकार का निर्धारण
10. विवाह एवं तलाक का निर्धारण
11. सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं पर नजर।

इन सभी कानूनों को राज्यपाल की सहमति से ही लागू किया जाता है।

स्वायत्त जिला परिषद/स्वायत्त क्षेत्र परिषद को अपने क्षेत्र में अपराध निर्धारण एवं दंड स्वरूप निर्धारण हेतु निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं—

1. ग्राम परिषद तथा न्यायालय का गठन
2. अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण
3. ग्राम परिषद/न्यायालय के आदेशों का क्रियान्वयन
4. न्याय के सहायक मामलों की सुनवाई।

स्वायत्त जिला परिषद/स्वायत्त परिषद के निम्नलिखित अन्य कार्य हैं—

1. प्राथमिक पाठशाला का निर्माण
2. अस्पताल की स्थापना
3. बाजार की व्यवस्था
4. सड़क का निर्माण
5. पेयजल की आपूर्ति
6. अन्य प्रकार के जल स्रोतों का विकास

Scanned with CamScanner

7. मत्स्य क्षेत्र का विकास
8. परिवहन क्षेत्र का विकास
9. जल परिवहन क्षेत्र का विकास
10. संचार क्षेत्र का विकास

जिला/क्षेत्रीय निधियां—प्रत्येक जिला/क्षेत्रीय परिषद के पास अपनी निधि होती है। जिला/क्षेत्रीय परिषद निम्नलिखित प्रकार के कर की वसूली कर सकता है—

1. व्यवसाय/व्यापार कर
2. पशु, वाहन एवं नाव कर
3. माल ढुलाई कर
4. पाठशाला, अस्पताल, सड़क, पानी, गृह इत्यादि के लिए कर।

साहूकार के शोषण के विरुद्ध कानून—जिला/क्षेत्रीय परिषद जनजातियों के बीच साहूकारों के शोषण को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकता है—

1. साहूकारी/महाजनी प्रथा पर रोक
2. ब्याज दर का निर्धारण
3. साहूकारों/महाजनों के खातों की जांच
4. साहूकारों/महाजनों के लाइसेंस का नवीकरण।

स्वायत्त जिलों/स्वायत्त क्षेत्रों के प्रशासन की जांच—राज्यपाल महोदय स्वायत्त जिलों/स्वायत्त परिषदों की जांच हेतु आयोग का गठन कर सकते हैं। राज्यपाल महोदय आयोग के रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की अनुमति दे सकते हैं। राज्यपाल महोदय स्वायत्त जिलों एवं स्वायत्त परिषदों के किसी भी अधिनियम या संकल्प को निरस्त कर सकते हैं।

जिला परिषद/क्षेत्रीय परिषद के सभी कानूनों, नियमों और अधिनियमों राज्यपाल महोदय की अनुमति से राज्य सरकारी गजट प्रकाशित करने का उपबंध है।

जिला परिषद/क्षेत्रीय परिषद को भंग किया जाना—महामहिम राज्यपाल महोदय जनअधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किसी आयोग की सिफारिश पर जिला क्षेत्रीय परिषद को भंग करने का आदेश निर्गत कर सकते हैं। वे नए चुनाव कराकर नए परिषद के गठन का आदेश दे सकते हैं।

पांचवीं अनुसूची एवं छठी अनुसूची में अंतर—पांचवीं अनुसूची तथा छठी अनुसूची में मुख्य अंतर निम्नलिखित है—

1. पांचवीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों पर लागू होती है, छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है।

2. पांचवीं अनुसूची का संबंध आठ राज्यों—आंध्र प्रदेश, बिहार (झारखंड सहित), गुजरात, मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित), महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों से है, जबकि छठी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्यों—असम, मेघालय, मिजोरम तथा त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है।

Scanned with CamScanner

3. पांचवीं अनुसूची के अनुसार अगर महामहिम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें तब संसद या विधान मंडल द्वारा पास कानून स्वतः अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हो जाते हैं, लेकिन छठी अनुसूची के अनुसार संसद या विधान मंडल द्वारा पारित कानून जनजातीय क्षेत्रों में बगैर महामहिम राज्यपाल की अधिसूचना के नहीं लागू किए जाते हैं।

4. पांचवीं अनुसूची जनजातीय प्रशासन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को असीम शक्ति प्रदान करती है, जबकि छठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्र की जनजातियों को अपने प्रशासन की शक्ति प्रदान करती है।

5. पांचवीं अनुसूची पैतृकवादी है, जबकि छठी अनुसूची सहभागितावादी है।

6. पांचवीं अनुसूची में जनजातीय परामर्शी परिषद गठन का उपबंध है, जबकि छठी अनुसूची में, स्वायत्त जिला परिषद या क्षेत्र परिषद गठन का उपबंध है।

7. पांचवीं अनुसूची के अनुसार महामहिम राज्यपाल महोदय को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास वार्षिक रिपोर्ट भेजना पड़ता है, जबकि छठी अनुसूची के अनुसार उन्हें रिपोर्ट नहीं भेजना पड़ता है।

3. जनजातीय विकास कौशल एवं नीतियां

आजादी प्राप्ति के बाद हमारे देश में विकास कौशल एवं नीतियों का निर्धारण एवं क्रियान्वयन पंचवर्षीय योजना के रूप में किया गया। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में सामान्य विकास के साथ-साथ जनजातीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए गए। उन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु योजनाओं का सूत्रीकरण एवं क्रियान्वयन किया गया। अच्छे ढंग से उन्हें लागू करने के लिए अनुश्रवण की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक योजना की समाप्ति काल में मूल्यांकन किया गया था। अब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के जनजातीय विकास कौशल एवं नीतियों की जानकारी यहां प्रदान की जा रही है—

(1) प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-1956)—इस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, गृह तथा आवागमन विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस योजना अवधि में जनजातीय कल्याण हेतु 174.7 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। यह राशि इस योजना अवधि में खर्च की जाने वाली कुल राशि का 0.08 प्रतिशत थी। इस योजना अवधि में जनजातीय विकास हेतु प्रतिवेदन प्राप्त करने के लिए कई आयोगों का गठन किया गया था। इसी योजना काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किए गए थे, जिनके माध्यम से कृषि विकास, यातायात सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण तथा कृषि सहायक उद्योग व्यवस्था पर विशेष बल दिया गया था।

(2) द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961)—इस योजना अवधि में आर्थिक विकास के ऊपर विशेष बल दिया गया था। इस योजना अवधि में कुल 672 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई थी 8.86 करोड़ रुपये जनजातीय विकास के ऊपर खर्च किए गए

Scanned with CamScanner

थे। यह राशि कुल राशि का 0.67 प्रतिशत था। इस योजना अवधि में जनजातीय विकास हेतु 43 बहुउद्देशीय जनजातीय प्रखंड की स्थापना की गई थी।

(3) तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961-1966)—इस पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण देश में 415 जनजातीय विकास प्रखंडों की स्थापना की गई थी। इस योजना का कुल व्यय 8,577 करोड़ रुपये था जिसमें 52.55 करोड़ रुपये (0.61 प्रतिशत) जनजातीय विकास के ऊपर खर्च किए गए थे।

(4) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969-1974)—इस योजना अवधि में जनजातीय विकास हेतु जनजातीय विकास एजेंसियों की स्थापना की गई थी। इस योजना अवधि में कुल 15,902 की राशि व्यय की गई जिसमें 75.00 करोड़ रुपये (0.47 प्रतिशत) जनजातीय विकास के ऊपर खर्च किए गए।

(5) पंचम पंचवर्षीय योजना (1974-1979)—इस योजना अवधि में जनजातीय उपयोजना नामक एक अलग योजना की शुरुआत की गई। जनजातीय विकास के लिए इस उपयोजना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

(6) छठी पंचवर्षीय योजना (1979-1984)—इस योजना अवधि में 50 प्रतिशत आबादी जनजातीय बहुल क्षेत्रों को जनजातीय उपयोजना में शामिल किया गया। जबकि पंचम पंचवर्षीय योजना में 75 प्रतिशत आबादी वाले जनजातीय बहुल क्षेत्र को जनजातीय उपयोजना के अधीन लाया गया था। इस योजना में जनजातीय विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, बागवानी, पशुपालन इत्यादि कार्यक्रम आरंभ किए गए। बैंक तथा लैंप्स के माध्यम से ऋण की सुविधा प्रदान की गई। नई छठी पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना के कुल खर्च को 5000 करोड़ रुपये कर दिया गया।

(7) सप्तम पंचवर्षीय योजना (1985-1990)—इस पंचवर्षीय योजना अवधि में आई.टी.डी.पी., माडा पाकेट्स, क्लस्टर्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स तथा विस्थापित जनजातीय जनसंख्या के विकास के ऊपर विशेष बल दिया गया। इस योजना अवधि में जनजातीय उपयोजना के ऊपर 756 करोड़ रुपये व्यय किए गए थे।

(8) अष्टम पंचवर्षीय योजना (1992-1997)—इस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखा गया है। इस योजना अवधि में कुल योजना व्यय के 9.47 प्रतिशत जनजातीय उपयोजना के ऊपर खर्च किए गए थे।

(9) नवम पंचवर्षीय योजना (1997-2002)—इस पंचवर्षीय योजना में जनजातीय उपयोजना के अंतर्गत चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों को जारी रखा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से विकास पर जोर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य तथा पोषण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना अवधि में जनजातीय उपयोजना के ऊपर कुल योजना मद का 7.47 प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था।

Scanned with CamScanner